2/8/24　　GCMS NO- 2024/181

FORM NO –III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत　कलक्टर,　मुकाम　डीडवाना–कुचामन

प्रार्थी　　　　　　　　　　**अप्रार्थीगण**

केसाराम पुत्र बोदुराम जाति जाट निवासी देवरी तहसील मकराना जिला डीडवाना–कुचामन　**बनाम**　तहसीलदार मकराना

किस्म मुकदमा स्थगन प्रार्थना पत्र　　　　संख्या... 90 सन् 2024

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तारीख में जारी हुए
09.12.2024	प्रार्थी केसाराम पुत्र बोदुराम जाति जाट निवासी देवरी तहसील मकराना ने तहसीलदार मकराना के विरूद्ध स्थगन प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है। प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर हो। स्थगन पर एक पक्षीय बहस वकील प्रार्थी श्री सिकन्दर खान को सुना गया। वकील प्रार्थी ने अपनी बहस में निवेदन किया कि वाके सरहद देवरी तहसील मकराना के खसरा सं0 23/1 में अप्रार्थी प्रार्थी के हिस्से कब्जा काश्त की भूमि में से रास्ता निकालने हेतु आमदा है। अतः अप्रार्थी को जरिये अस्थाई निषधाज्ञा से पाबन्द नहीं किया तो प्रार्थी को अपूरणीय क्षति होगी। जिसकी भरपाई भविष्य में किया जाना संभव नहीं हो पायेगा। एक पक्षीय बहस के तर्को पर मनन किया। प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थी के पक्ष में सुविधा व सन्तुलन का प्रतीत होता है। अतः अप्रार्थी को जरिये अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि वाके सरहद देवरी तहसील मकराना के खसरा सं0 23/1 में आगामी पेशी तक प्रार्थी के कब्जे काश्त की भूमि पर मौके व राजस्व रेकर्ड की यथास्थिति बनाये रखें। अप्रार्थी को जरिये सम्मन तलब किया जाकर पत्रावली वास्ते तलबी दिनांक 24.12.2024 को पेश हो। (signature) जिला कलक्टर, डीडवाना–कुचामन	
24/12/24	पत्रावली पेश [illegible] 2700 तहसीलदार मकराना [illegible] / दिनांक 12/12/20[illegible] आगामी स्थगन आदेश को [illegible] तारीख पेशी दिनांक 07/1/[illegible]25 तक बढ़ाई जाती है। पत्रावली वास्ते [illegible] दिनांक 07/1/2025 को पेश हो। (signature) जिला कलक्टर डीडवाना–कुचामन	

Signature Not Verified
Digitally signed by Pukhraj Sen
Date: 2025.06.06 15:31:59 IST
Reason: SelfAttested

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल जज
25/3/25	पत्रावली पेश हुई। श्रीमान पीठासीन अधिकारी महोदय अन्य कार्य में व्यस्त हैं पत्रावली दिनांक 8/4/25 को पेश हो।
8/4/25	पत्रावली पेश हुई। पत्रावली हस्ब मुलाहिजा के साथ दिनांक 22/4/25 को पेश हो। जिला कलक्टर डीडवाना–कुचामन
22/4/25	पत्रावली पेश हुई। पत्रावली हस्ब मुलाहिजा के साथ दिनांक 28/4/25 को पेश हो। जिला कलक्टर डीडवाना–कुचामन
28/4/25	पत्रावली पेश हुई। पत्रावली हस्ब मुलाहिजा के साथ दिनांक 5/5/25 को पेश हो। जिला कलक्टर डीडवाना–कुचामन
5/5/25	पत्रावली पेश हुई। श्रीमान पीठासीन अधिकारी महोदय अन्य कार्य में व्यस्त है। पत्रावली दिनांक-12/5/25 को पेश हो।
12/5/25	पत्रावली पेश हुई। इसी अनवान की एक मुलाहिजा का निस्तारण हो चुका है [illegible] निस्तारण हो जाने से इस [illegible] कोई औचित्य नहीं रह जाता है [illegible] पत्रावली का निस्तारण किया जाता है। पत्रावली बाद तामील इन्दराज होकर दाखिल दफ्तर हो। जिला कलक्टर डीडवाना–कुचामन

Signature Not Verified
Digitally signed by Pukhraj Sen
Date: 2025.06.06 15:31:59 IST
Reason: SelfAttested